तारीख व नाम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

~~भागचन्द बनाम न.पा. राजगढ~~

प्रा. पत्र 212 आर. टी. एक्ट

9.5.19 आज यह प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट का वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया गया कि आराजी विवादित हाल ख. सं. 03 रकबा 0.24 है. जो के ग्राम श्रीनगर तह. राजगढ मे स्थित है से प्रार्थी को जबरन बेदखल न करें एवं कब्जा न करें आराजी के किसी भाग को दबाकर कोई निर्माण कार्य न करें आराजी के तरफ उत्तरी सीरे मे निर्मित पुरानी कच्ची मिटटी की मेड को करीब 3 फीट ऊचाई की तथा करीब 125 फूट लम्बाई की निर्मित है को तोड फोड न करें प्रार्थी के कब्जा काश्त मे किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा न करें पेड आदि को काट कर न ले जावें। साथ मे शपथ पत्र पेश किया।

बहस वकील प्रार्थी एकपक्ष मे सूनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका राजगढ को पत्र जारी किया जावे कि वो आराजी पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने से पूर्व राजस्व विभाग तहसीलदार राजगढ से नियमानुसार सीमा ज्ञान करायें। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो कि उन्हे इस सम्बन्ध मे कोई एतराज हो तो दिनांक 11/6/19 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। हुक्म हो।

उप खण्ड अधिकारी
राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश/दौरे पर है अतः पत्रावली दि. .... को पेश हो

रीडर

.... अभिभाषक मण्डल ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक [illegible] को पेश हो

S.D.O.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
[illegible]/25 पत्रावली पेश। [illegible] [illegible] को वास्ते बहस [illegible] पेश हो। SDO	
17/09/25 पत्रावली इस जाई तारीख से पेश। वकु० उप०। अप्रार्थी सं० 1,2 की ओर से श्री रमेश गुर्जर द्वारा VT दी गई। वास्ते पेश होने वकालतनामा दिनांक 07/10/25 को पेश हो। SDO	अप्रार्थी सं० 1,2 की ओर से VT 17/9/25 (L.O. [illegible])
07/10/25 पत्रावली पेश। वकु० उप०। वास्ते बहस दिनांक 31/10/25 को पेश हो। SDO	
31/10/25 पत्रावली पेश। [illegible] मूल आवेदन [illegible] खारिज किया जाता है। [illegible] प्रार्थनापत्र की कार्यवाही [illegible] खारिज किया जाता है। [illegible] पत्रावली [illegible] पूर्ति [illegible] पेश हो। SDO	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़